

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-5
संख्या-1325/पाँच-5-2020
लखनऊ दिनांक: 23 जून, 2020
कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस-2019 के संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु चिकित्सा अनुभाग-5 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-678/पाँच-5-2020, दिनांक 22 मार्च, 2020 द्वारा प्रदेश स्तर पर की जा रही कार्यवाहियों के अनुश्रवण के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत उक्त टीमों का निम्नलिखित प्रकार से पुनर्गठन किया जाता है :-

1. कोविड फैसिलिटी अनुश्रवण टीम-

राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी-श्री विजय विश्वास पंत, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

- जनपदों में डेडीकेटेड कोविड फैसिलिटी के चिन्हीकरण एवं तैयारी का अनुश्रवण करना।
- समस्त कोविड फैसिलिटी में समय से प्रभावी उपचार सुनिश्चित कराना।
- समस्त कोविड फैसिलिटी की क्रियाशीलता पूर्णरूप से सुनिश्चित कराना।
- इन फैसिलिटीज में इन्फेक्शन प्रीवन्शन एवं कन्ट्रोल प्रोटोकॉल तथा बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स का प्रभावी अनुपालन कराना।
- समस्त कोविड फैसिलिटीज में भोजन, साफ-सफाई एवं अन्य लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता का अनुश्रवण करना।

2. नान-कोविड फैसिलिटी अनुश्रवण टीम-

राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी-डा० राकेश कुमार, कार्यवाहक निदेशक, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।

- समस्त नान-कोविड फैसिलिटी में दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य सेवाओं की क्रियाशीलता सुनिश्चित कराना।
- समस्त नान-कोविड फैसिलिटी में दिशा-निर्देश के अनुसार कोविड हेल्प डेस्क का संचालन सुनिश्चित कराना।
- इन फैसिलिटीज में इन्फेक्शन प्रीवन्शन एवं कन्ट्रोल प्रोटोकॉल तथा बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स का प्रभावी अनुपालन कराना।
- निजी चिकित्सालयों को क्रियाशील रखने हेतु समन्वय स्थापित करना।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य लॉजिस्टिक्स जैसे पी०पी०ई० किट्स, एन-95 मास्क आदि की उपलब्धता का अनुश्रवण करना।

3. ट्रीटमेन्ट प्रोटोकॉल टीम-

राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी-डा० रूकुमकेश, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं प्रदेश के उच्च चिकित्सा संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए ट्रीटमेन्ट प्रोटोकॉल का निर्धारण कराना।

- डेडीकेटेड कोविड फैसिलिटी में उपचार के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन कराना।
 - समस्त निर्गत प्रोटोकॉल/गाइडलाइन्स के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जनपदों में तैनात नोडल अधिकारियों का अनुश्रवण करना।
4. **किटिकल उपकरण उपलब्धता अनुश्रवण टीम—**
राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी—डा० अरूण श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, साचीज, उ०प्र०।
- समस्त ईकाइयों में अनिवार्य उपकरणों की उपलब्धता का आंकलन करना।
 - अनिवार्य उपकरणों की उपलब्धता के संदर्भ में कोविड फैसिलिटी अनुश्रवण टीम एवं लॉजिस्टिक अनुश्रवण टीम से समन्वय स्थापित करना।
 - वेन्टीलेटर की क्रियाशीलता एवं आक्सीजन की आपूर्ति/उपलब्धता का अनुश्रवण करना।
 - निश्चेतकों की उपलब्धता का अनुश्रवण करना तथा निश्चेतकों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अनुश्रवण करना।
 - एम्बुलेन्सेस से रोगियों के परिवहन के दौरान आक्सीजन के उपयोग का अनुश्रवण।
5. **रोगी संदर्भन एवं परिवहन टीम—**
राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी—डा० मिथिलेश चतुर्वेदी, निदेशक, संचारी रोग, उ०प्र०।
- एक कोविड फैसिलिटी से दूसरे कोविड फैसिलिटी में त्वरित एवं सुगम संदर्भन हेतु कोविड ईकाइयों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित कराना।
 - विभाग की आपातकालीन परिवहन सेवाएं जैसे 108 एम्बुलेन्स सेवा, एडवान्स लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स (ए०एल०एस०) के साथ-साथ अन्य विभागों/निजी क्षेत्रों में उपलब्ध एम्बुलेन्सों को आपातकालीन स्थिति हेतु तैयार कराना।
 - सेवा-प्रदाता से समन्वय स्थापित करते हुए जनपदों में 24 घंटे क्रियाशील एम्बुलेन्सों की तर्कसंगत तैनाती सुनिश्चित कराना।
 - एम्बुलेन्स सेवा का त्वरित रेस्पॉन्स सुनिश्चित कराना।
 - सेवा-प्रदाता से समन्वय स्थापित कर कोविड-19 हेतु एम्बुलेन्सों के पैरामेडिकल स्टाफ एवं चालकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना।
 - संचालित एम्बुलेन्सों में संक्रमण नियंत्रण की सावधानियों को क्रियान्वित कराना।
6. **लॉजिस्टिक टीम—**
राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी—सुश्री श्रुति सिंह, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि०, लखनऊ।
- कोविड-19 के रोकथाम, बचाव एवं उपचार हेतु प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य औषधियों एवं आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
 - राज्य/जनपद स्तर पर औषधियों एवं सामग्रियों का प्रचुर बफर-स्टॉक सुनिश्चित कराना।
 - मेडिकल कालेजों में लॉजिस्टिक आवश्यकताओं हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग से समन्वय सुनिश्चित करना।
 - सी०एस०आर० के अन्तर्गत लॉजिस्टिक्स के योगदान के लिए विभिन्न संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना तथा प्राप्त लॉजिस्टिक्स का तर्कसंगत वितरण सुनिश्चित करना।

7. सर्विलान्स टीम-

राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी-डा० विकासेन्दु अग्रवाल, राज्य सर्विलान्स अधिकारी (आई०डी०एस०पी), उ०प्र०।

- कोविड-19 से सम्बन्धित सभी आंकड़ों के आधार पर एपिडिमियोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार कराना जिससे प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण का सही विश्लेषण कर समयबद्ध एवं सटीक रणनीति बनाई जा सके।
- प्रदेश में गहन कान्टैक्ट ट्रेसिंग सुनिश्चित कराना।
- जनपदों में सर्विलान्स गतिविधियाँ नियोजित एवं संचालित कराना।
- लक्षित पूल्ड टेस्टिंग नियोजित एवं संचालित कराना।
- कन्टेनमेन्ट जोन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करना तथा कन्टेनमेन्ट जोन में सम्पादित गतिविधियों का अनुश्रवण करना।

8. सामुदायिक सहभागिता एवं सर्विलान्स टीम-

राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी- डा० बिन्दु प्रकाश सिंह, अपर निदेशक, मलेरिया एवं वी०बी०डी०, उ०प्र०।

- कोरोना के विरुद्ध जारी प्रयासों में व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित कराना।
- यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से समन्वय स्थापित कर सामुदायिक स्तर पर कोविड रोकथाम एवं बचाव से सम्बन्धित गतिविधियों में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराना।
- अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए डाटा कलेक्शन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु सर्विलान्स टीम को संसूचित कराना।

9. कोविड सैम्पलिंग एवं परीक्षण टीम-

राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी-डा० संतोष गुप्ता, राज्य क्षयरोग अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०।

- प्रदेश में कोविड-19 टेस्टिंग की दैनिक-क्षमता में वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अनवरत कार्य करेगी। इसके लिए, वर्तमान में क्रियाशील प्रयोगशालाओं की टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि तथा नई प्रयोगशालाओं का चिन्हीकरण किया जाएगा।
- सैम्पल प्रोसेसिंग हेतु आई०सी०एम०आर० एवं प्रदेश में कोविड जाँच हेतु अधिकृत प्रयोगशालाओं से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराना।
- प्रोटोकॉल के अनुसार समस्त सावधानियों अपनाते हुए समयान्तर्गत सैम्पल-कलेक्शन, लेवलिंग, पैकिंग एवं परिवहन कराना।

10. आयुष्मान भारत के अन्तर्गत उपचारित लाभार्थियों के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु अनुश्रवण टीम-


राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी-सुश्री संगीता सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज, उ०प्र०।

- आयुष्मान भारत के अन्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में उपचारित लाभार्थियों के भुगतान की प्रतिपूर्ति का अनुश्रवण करना।

- ऐसे निजी मेडिकल कालेज जो आयुष्मान भारत योजना से आबद्ध नहीं हैं, उन निजी मेडिकल कालेजों में आयुष्मान भारत के अन्तर्गत अनुमन्य दर पर उपचारित रोगियों के प्रतिपूर्ति का अनुश्रवण करना।
11. सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) टीम-
राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी-श्री प्रान्जल यादव, विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
- कोरोना से बचाव हेतु सामान्य किन्तु महत्वपूर्ण संदेशों जैसे शारीरिक दूरी, व्यक्तिगत एवं वातावरणीय सावधानियों को आम जनमानस तक विभिन्न माध्यमों से पहुँचाना।
 - कोविड-19 से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आई0सी0सी गतिविधियों का संचालन कराना।
 - कोविड-19 से सम्बन्धित प्रकरणों से सोशल मीडिया को अपडेट कराना तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक/तथ्यहीन समाचारों/अफवाहों का समाधान कराना।
12. कन्ट्रोल रूम एवं टेलीमेडिसिन टीम-
राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी-डा0 पूजा पाण्डेय, निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
- विभाग द्वारा स्थापित कन्ट्रोल रूम की 24 घंटे प्रभावी क्रियाशीलता सुनिश्चित कराना।
 - कन्ट्रोल रूम में आने वाली कॉल का पूर्ण रिकार्ड सुनिश्चित कराना।
 - कन्ट्रोल रूम में तैनात सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित कराना।
 - टेलीमेडिसिन हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनेल तैयार कराना एवं इन चिकित्सकों के माध्यम से नियमित टेलीमेडिसिन परामर्श उपलब्ध कराना।
13. मानव-संसाधन एवं प्रशिक्षण टीम-
राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी-डा0 बसन्त कुमार, अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग ईकाई, उ0प्र0।
- कोरोना वॉरियर्स और इससे अग्रिम पंक्ति पर निपटने वाले कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं प्रोटोकॉल की पूर्ण जानकारी प्रदान कराना।
 - जनपदवार/ईकाईवार मानव-संसाधन की उपलब्धता का आंकलन कर जनपदों की मानव-संसाधन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तर्कसंगत नियोजन करना।
 - कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु मानव-संसाधन के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आंकलन कर प्रशिक्षण का नियोजन एवं क्रियान्वयन करना।
 - इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन/नर्सिंग होम एसोसिएशन से समन्वय स्थापित कर कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना।
14. अन्तर्विभागीय एवं विभागीय समन्वय टीम-
राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी-सुश्री वी0 हेकाली झिमोमी, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- विभिन्न विभागों के साथ-साथ विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों से समन्वय स्थापित करना।

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल सेन्टर फार डिजीज कन्ट्रोल, आई0सीएम0आर0 के द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/प्रोटोकॉल का अनुपालन कराना।
- कोविड-19 के रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु स्थापित उपरोक्त सभी टीमों के मध्य समन्वय स्थापित कराना।

इसके अतिरिक्त डायूमेन्टेशन का कार्य डा0 पूजा पाण्डेय, निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान एवं उनकी टीम द्वारा देखा जायेगा। हेल्थ वर्कर्स के बीमा दावों के अनुश्रवण एवं भारत सरकार और बीमा कंपनियों के मध्य समन्वय का कार्य श्री हेमन्त कुमार, विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा देखा जायेगा।


23.6.20


(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।


संख्या-1325(1)/पॉच-5-2020 तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
4. निदेशक, संचारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित अधिकारीगण।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।


23/06/2020